न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
ए0बी0पी0– 490 / 2026
(नगरनौसा थाना कांड संख्या– 96 / 2026)

किरण देवी बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
02.07.2026	आवेदकगण 1. किरण देवी 2. बमबहादुर कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 126(2), 115(2), 64, 69, 88, 352, 351(2), 3(5) बी0 एन0 एस0 एवं 3 / 4 दहेज निषेध अधिनियम के तहत नगरनौसा थाना कांड संख्या– 96 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि पूर्व में आवेदक की ओर से न तो इस न्यायालय में, न उपर के किसी भी न्यायालय में कोई अग्रिम या नियमित जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है। आवेदकगण निर्दोष है और कोई अपराध नहीं किया है। यह याचिका मुख्य रूप से आवेदक की बेगुनाही और उसे झूठे केस में फंसाए जाने के तर्कों पर आधारित है। आवेदक का तर्क है कि उसे पड़ोसी राजीव कुमार के साथ चल रही पुरानी दुश्मनी और गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण इस मामले में षड्यंत्र के तहत घसीटा गया है। सुचिका द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए लिखित रिपोर्ट के साथ कोई भी प्रत्यक्ष गवाह या ठोस चिकित्सीय प्रमाण संलग्न नहीं किए गए हैं। सुचिका अवैध तरीके से प्रार्थी सं0– 1 के बेटा के साथ शादी के लिए दबाव बनाना चाहती है। धारा– 64, 69 बी0 एन0 एस0 एवं 3 / 4 दहेज निषेध अधिनियम प्रार्थी के विरूद्ध लागु नहीं होती है। प्रार्थी सं0– 1 मनीशंकर कुमार की माँ है और प्रार्थी सं0– 2 मनीशंकर कुमार का दोस्त है। घटनास्थल पटना ज़िला में है इसलिए वर्तमान मुकदमा अवैध है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि आदिती कुमारी, पिता स्व ध्रुव कुमार, रातु रोड राँची की निवासी हूँ। वो पटना के भूपत्तीपुर में रहकर टेलीकॉलींग का काम करती है। उसके साथ काम करने वाले मनीशंकर कुमार, पिता रमेश सिंह, ग्राम अख्तियारपुर, नालंदा ने उसे बहला–फुसलाकर शादी का झांसा दिया और दस महीने से उसके साथ भूपत्तीपुर और लालजी टोला स्थित रूम पर शारीरिक संबंध बनाया। इस क्रम में जनवरी में मैं गर्भवती हो गई। यह बात मनीशंकर, उसका भाई रविशंकर, माँ किरण देवी, दोस्त अमन कुमार और विकाश कुमार अच्छी तरह जानते थे। प्रेग्नेंट होने के बाद इन सब लोगों ने 6 मार्च 2026 को उसे गर्भपात कराने के लिए प्रेरित किया और कहा कि इसके बाद शादी करवा देंगे। गर्भपात में ये सब शामिल थे। बाद में शादी के लिए दहेज की मांग की जाने लगी। आखिरी बार अप्रैल में मनीशंकर ने रूम पर बुलाकर संबंध बनाया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया। 17.4.2026 को जब वो उसके घर अख्तियारपुर पहुंची तो रविशंकर, मनीशंकर, किरण देवी, अमन और विकाश ने मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश की। पड़ोसी राजीव कुमार ने बीच–बचाव कर उसकी जान बचाई। सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि	

लगातार...

काण्ड दैनिकी के पारा 35 के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप सह–अभियुक्त पर है जो प्रार्थी सं0– 1 का बेटा है एवं प्रार्थी सं0– 2 का मित्र है। सामान्यतः आवदकगण पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे दहेज की मांग करते हैं, और पीड़िता जब उनके घर गई तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की।

अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	02.07.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	09.07.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENOGRAPHER)